



RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS


UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण



DATE
जनवरी
25
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors



By Ankit Avasthi Sir

इसरो का 100वां मिशन: एनवीएस-02 उपग्रह / ISRO's 100th mission: NVS-02

संदर्भ:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) जनवरी 2025 में अपने 100वें मिशन के तहत **NVS-02 उपग्रह** को **जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV)** के माध्यम से प्रक्षेपित करेगा।

NVS-02 सैटेलाइट के बारे में:**1. परिचय:**

- **NVS-02** भारत के दूसरे-पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों की श्रृंखला में दूसरा और NavIC प्रणाली का नौवां उपग्रह है।
- **NavIC (Navigation with Indian Constellation)** में कुल 7 प्रथम-पीढ़ी के उपग्रह शामिल हैं।
- **NVS-01**, पहला द्वितीय-पीढ़ी का उपग्रह, 29 मई 2023 में प्रक्षेपित किया गया था।

2. प्रक्षेपण वाहन: NVS-02 को **GSLV Mark II** रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा।

3. प्रमुख विशेषताएँ:

- NVS-02 उपग्रह में दो प्रकार के पेलोड होंगे:
 1. **नेविगेशन पेलोड** - सटीक पोजिशनिंग और टाइमिंग सेवाओं के लिए।
 2. **रेंजिंग पेलोड** - उपग्रह की स्थिति और गति ट्रैकिंग के लिए।

4. निर्माण एवं परीक्षण:

- इस उपग्रह को **UR सैटेलाइट सेंटर (URSC)** में डिज़ाइन, विकसित और इंटीग्रेट किया गया है।
- नवंबर-दिसंबर 2024 के दौरान इसे सैटेलाइट स्तर पर थर्मोवैक परीक्षणों से गुजारा गया।
- दिसंबर 2024 में डायनामिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिससे यह लॉन्च के दौरान आने वाले गतिशील भारों को सहने के योग्य सिद्ध हुआ।

5. उद्देश्य:

- भारत की सटीक नेविगेशन प्रणाली को मजबूत बनाना।
- सामरिक और नागरिक उपयोगों के लिए उच्च गुणवत्ता की पोजिशनिंग सेवाएं प्रदान करना।

NavIC और भविष्य की संभावनाएँ:**1. उन्नत सुरक्षा और संभावनाएँ:**

- दूसरी पीढ़ी के NavIC उपग्रहों में **सुरक्षित संचार के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन** शामिल किया गया है।
- वर्तमान में NavIC एक **क्षेत्रीय प्रणाली** है, लेकिन भविष्य में इसे **वैश्विक स्तर पर विस्तारित** करने की योजना है।

NavIC की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह:

- **तीसरी फ्रीक्वेंसी (L1):** L5 और S के साथ L1 फ्रीक्वेंसी से अन्य नेविगेशन सिस्टम के साथ बेहतर समन्वय।
- **मजबूत एन्क्रिप्शन:** संचार को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए।
- **लंबी मिशन आयु:** 12+ वर्ष (पहली पीढ़ी: 10 वर्ष)।

NavIC क्या है?

- **NavIC (Navigation with Indian Constellation)** भारत का स्वदेशी क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिसे **ISRO** द्वारा विकसित किया गया है।
- इसे पहले **IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System)** के रूप में जाना जाता था।
- यह **भारत और आसपास के क्षेत्रों** में सटीक पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करता है।
- यह **GPS, GLONASS, Galileo और BeiDou** जैसे वैश्विक नेविगेशन सिस्टम के साथ **इंटरऑपरेबल** है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता बढ़ जाती है।

NavIC की आवश्यकता:

1. **राष्ट्रीय सुरक्षा:** संकट के समय विदेशी प्रणालियों (जैसे GPS) पर निर्भरता कम करने के लिए एक स्वतंत्र और सुरक्षित नेविगेशन सिस्टम।
2. **क्षेत्रीय नेविगेशन में सुधार:** दक्षिण एशिया के लिए विशेष रूप से उच्च सटीकता प्रदान करता है, जो वैश्विक प्रणालियों में उपलब्ध नहीं है।
3. **नागरिक उपयोग:** कृषि, परिवहन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में NavIC उपयोगी है।

दुनिया के प्रमुख सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम:

वर्तमान में चार प्रमुख वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणालियाँ हैं:

1. **अमेरिका:** GPS (Global Positioning System)
2. **रूस:** GLONASS (Global Navigation Satellite System)
3. **चीन:** BeiDou
4. **यूरोपीय संघ:** Galileo

इसके अलावा, **जापान** का एक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है:

- **QZSS (Quasi-Zenith Satellite System)** - चार उपग्रहों पर आधारित।

उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति / Appointment of Ad-hoc Judges in High Court

संदर्भ:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में आपराधिक मामलों के लंबित मामलों को कम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति (ad hoc basis) का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही, अदालत ने 2021 के अपने उस निर्णय पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया, जो अस्थायी नियुक्तियों को विशिष्ट परिस्थितियों तक सीमित करता था।

अनुच्छेद 224A: अस्थायी (Ad Hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति:

अस्थायी (Ad Hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया-

1. राष्ट्रपति की स्वीकृति:

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त करने के बाद, किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अनुरोध करते हैं।
- यह नियुक्ति राष्ट्रपति से परामर्श के बाद की जाती है।

2. कार्यकाल:

- इन अस्थायी न्यायाधीशों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता।
- नियुक्ति केवल न्यायाधीशों की कमी को दूर करने या मामलों के शीघ्र निपटान के लिए की जाती है।

3. पात्रता और अधिकार:

1. भते और सुविधाएँ:

- उन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित भते प्राप्त होते हैं।

2. अधिकार और शक्तियाँ:

- उन्हें सभी अधिकार, शक्तियाँ, और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जो एक वर्तमान उच्च न्यायालय न्यायाधीश को मिलते हैं।
- हालांकि, उन्हें एक पूर्णकालिक उच्च न्यायालय न्यायाधीश "माना नहीं" जाता।

3. सहमति:

- नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति और सेवानिवृत्त न्यायाधीश दोनों की सहमति आवश्यक होती है।

अस्थायी (Ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता:

1. आपराधिक मामलों का लंबित रहना: कई उच्च न्यायालयों में भारी संख्या में आपराधिक मामले लंबित हैं।

2. न्यायाधीशों के पदों की रिक्तियाँ: लगभग 40% पद उच्च न्यायालयों में रिक्त हैं, जिससे न्याय वितरण में देरी हो रही है।

3. नियुक्ति में देरी: कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद भी न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी होती है, जिससे न्याय प्रणाली प्रभावित हो रही है।

4. विधि आयोग की सिफारिशें: विधि आयोग की 1979, 1988 और 2003 की रिपोर्टों में सुझाव दिया गया है कि अनुभवी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति लंबित मामलों का निपटारा करने का एक प्रभावी समाधान हो सकता है।

अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लाभ:

1. अनुभवी न्यायाधीश: सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का समृद्ध अनुभव और सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिससे मामलों के निपटारे में कुशलता आती है।

2. त्वरित नियुक्ति: पूर्व न्यायाधीश होने के कारण गुप्तचर एजेंसियों की जांच की आवश्यकता नहीं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकती है।

3. लंबित मामलों में कमी: पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता देकर न्याय प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है।

चिंताएं और आलोचनाएं:

1. सीमित उपयोग: संविधान में प्रावधान होने के बावजूद अस्थायी नियुक्तियों का न्यूनतम उपयोग हुआ है, जिससे यह प्रक्रिया अप्रभावी मानी जाती है।

2. अल्पकालिक समाधान: न्यायिक रिक्तियों और नियुक्ति में देरी जैसी व्यवस्थित समस्याओं का यह स्थायी समाधान नहीं है।

3. गुणवत्ता की चिंता: अस्थायी न्यायाधीशों की संस्थागत एकीकरण की कमी और न्यायपालिका के दीर्घकालिक कामकाज में रुचि की कमी, उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती है।

4. स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी:

- चयन मानदंड स्पष्ट न होने से नियुक्तियों में असंगति की संभावना बनी रहती है।
- गैर-नियमित नियुक्तियाँ जवाबदेही और प्रशिक्षण में भी बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

महत्वपूर्ण अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तियाँ:

- 1972:** सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया।
- 1982:** न्यायमूर्ति पी. वेणुगोपाल को मद्रास उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
- 2007:** न्यायमूर्ति ओ.पी. श्रीवास्तव को अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया।
- 2021** के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तक कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है।

आर्कटिक बोरियल क्षेत्र कार्बन स्रोत बन गया / Arctic Boreal Zone Becomes a Carbon Source

संदर्भ:

जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, आर्कटिक बोरियल ज़ोन का 40% हिस्सा अब कार्बन स्रोत बन गया है, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है।

- यह निष्कर्ष NOAA की 2024 की आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड से मेल खाता है, जिसमें बढ़ते तापमान और वनाग्नि गतिविधियों के कारण आर्कटिक टुंड्रा के कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तन की पुष्टि की गई है।

आर्कटिक पर अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- कार्बन स्रोत:**
 - 2001-2020 के दौरान, आर्कटिक का **30% क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत** था।
 - आग की घटनाओं को शामिल करने पर यह आंकड़ा **40% तक बढ़ गया।**
- आग का प्रभाव:** आर्कटिक में आग से उत्सर्जन क्षेत्र को कार्बन स्रोत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- मौसम संबंधी प्रभाव:** सितंबर से मई के दौरान कार्बन उत्सर्जन, गर्मियों (जून-अगस्त) में अवशोषित कार्बन से अधिक है।

कार्बन स्रोत बनने के कारण:

- बढ़ता हुआ वनस्पति काल (Growing Season):** लंबी बढ़ती ऋतु और बढ़ी हुई सूक्ष्मजीव गतिविधि से कार्बन संतुलन में बदलाव हो रहा है।
- आग की बढ़ती घटनाएं:**
 - जंगल की आग की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति स्थिति को और बिगाड़ रही है।
- स्थायी हिम (Permafrost) का पिघलना:**
 - स्थायी जमी हुई भूमि के पिघलने से संग्रहीत कार्बन वायुमंडल में CO2 और मीथेन के रूप में निकल रहा है।

ग्रीनिंग (हरितीकरण) का प्रभाव:

- क्षेत्र का **49% हिस्सा हरितीकरण** दिखा रहा है, जो बढ़ते वनस्पति काल और वृद्धि के कारण हो रहा है।
- हालांकि, केवल **12% क्षेत्र ही वार्षिक रूप से शुद्ध कार्बन सिंक** के रूप में कार्य करता है, क्योंकि बढ़ते तापमान और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से यह संतुलन बिगड़ जाता है।


कार्बन सिंक vs कार्बन स्रोत:

1. कार्बन सिंक (Carbon Sink):

- जो प्रणाली वातावरण से **अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित** करती है, उसे कार्बन सिंक कहा जाता है।
- उदाहरण: वन, महासागर, मिट्टी।

2. कार्बन स्रोत (Carbon Source):

- जब कोई प्रणाली वातावरण में **अवशोषण से अधिक कार्बन उत्सर्जित** करती है, तो उसे कार्बन स्रोत कहा जाता है।
- उदाहरण: जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना।



आर्कटिक बोरेल ज़ोन (Arctic Boreal Zone):

आर्कटिक बोरेल ज़ोन, आर्कटिक सर्कल के साथ स्थित एक विशाल उत्तरी पारिस्थितिकी तंत्र है, जो लगभग **26 मिलियन वर्ग किलोमीटर** में फैला हुआ है।

मुख्य क्षेत्र:

- टुंड्रा (Tundra):** बर्फीले और वृक्षविहीन क्षेत्र।
- बोरेल वन (Taiga):** घने शंकुधारी वन।
- वेटलैंड्स (Wetlands):** दलदली और नमी युक्त भूमि।

मुख्य स्थान:

- अलास्का
- कनाडा
- उत्तरी यूरोप
- साइबेरिया

रोडामाइन बी / Rhodamine B

संदर्भ:

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि **Rhodamine B, डीएनए** को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे म्यूटेशन और संभावित रूप से कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। भारत में इसे **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006** के तहत खाद्य पदार्थों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

- हालांकि प्रतिबंध के बावजूद, भारत में खाद्य पदार्थों में **Rhodamine B** के व्यापक उपयोग ने गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं का कारण बना हुआ है।

Rhodamine B के बारे में:

परिचय:

Rhodamine B एक कृत्रिम रंग (synthetic dye) है, जिसका मुख्य रूप से **टेक्सटाइल, कागज और चमड़ा उद्योगों** में उपयोग किया जाता है। हालांकि, इसे अवैध रूप से खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।

भौतिक विशेषताएँ:

- यह जल में घुलनशील यौगिक है।
- पाउडर के रूप में यह हरा दिखाई देता है, जबकि जल में घुलने पर यह चमकीला फ्लोरोसेंट गुलाबी रंग में बदल जाता है।

Rhodamine B के उपयोग:

- औद्योगिक अनुप्रयोग (Industrial Applications):**
 - कपड़ा, स्याही (inks), स्याही निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन (cosmetics) और खाद्य रंगों में जीवंत रंग उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी (Fluorescence Microscopy):**
 - इसकी फ्लोरोसेंट विशेषताओं के कारण इसे प्रयोगशालाओं में **कोशिकीय संरचनाओं (cellular structures)** और **आणविक इंटरैक्शन (molecular interactions)** के सटीक दृश्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है।

Rhodamine B के हानिकारक प्रभाव:

- कैंसरकारी गुण (Carcinogenic Properties):**
 - पशु अध्ययनों में यह डीएनए क्षति, उत्परिवर्तन (mutations) और संभावित ट्यूमर वृद्धि से जुड़ा पाया गया है।
- विषाक्त प्रभाव (Toxic Effects):**
 - लंबे समय तक संपर्क में रहने से **यकृत (liver)**, **गुर्दे (kidneys)** और **मूत्राशय (bladder)** को नुकसान हो सकता है।

- ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (Oxidative Stress):** यह कोशिकीय क्षति (cellular damage) को बढ़ावा देता है, जिससे ऑक्सीडेटिव गतिविधि में वृद्धि होती है।
- पर्यावरणीय खतरे (Environmental Hazards):** औद्योगिक अपशिष्ट जल में उपस्थित अवशिष्ट रंग पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystems) को दूषित कर सकते हैं।
- संवेदनशील समूह (Vulnerable Groups):** बच्चे और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों (immunocompromised individuals) के लिए यह अधिक हानिकारक साबित हो सकता है।

Rhodamine B के नियम और प्रतिबंध:

- FSSAI के नियम (FSSAI Regulations):** भारत में खाद्य उत्पादों में Rhodamine B का उपयोग **स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित** है।
 - इसका उपयोग **खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety & Standards Act, 2006)** के तहत दंडनीय अपराध है।
- हाल ही की कार्रवाई (Recent Actions):** वर्ष 2024 में **तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, और हिमाचल प्रदेश** में इसके उपयोग पर प्रतिबंध और सख्त उपाय लागू किए गए हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (United States):** **FDA (Food and Drug Administration)** ने Rhodamine B को खाद्य पदार्थों के लिए असुरक्षित माना है और इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
 - जनवरी 2025 में, बढ़ते कैंसरकारी प्रमाणों के कारण **और सख्त प्रतिबंध** लगाए गए।
- यूरोपीय संघ (European Union):**
 - यूरोपीय संघ ने इसे **'अत्यधिक चिंता वाला पदार्थ' (Substance of Very High Concern)** के रूप में वर्गीकृत किया है।
 - कैंसरजनक और त्वचा संवेदनशीलता जोखिम के कारण इसे **कॉस्मेटिक्स में प्रतिबंधित** कर दिया गया है।

कावेरी-दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना / Cauvery-South Vellar Link Project

संदर्भ:

तमिलनाडु द्वारा जनवरी 2021 में किए गए अनुरोध के **चार साल बाद** भी केंद्र सरकार ने **कावेरी-दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना** को सैद्धांतिक मंजूरी नहीं दी है।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करते हुए **कर्नाटक** की परियोजना को रोकने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि केंद्र की मंजूरी के बिना कर्नाटक की अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

कावेरी-दक्षिण वेल्लार लिंक परियोजना:

1. अनुमोदन की स्थिति:

- तमिलनाडु ने जनवरी 2021 में इस परियोजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक स्वीकृति नहीं दी है।

2. परियोजना का अवलोकन:

- इस परियोजना का उद्देश्य **मेट्टूर बांध** से अधिशेष पानी को **सेलम जिले के सरबंगा बेसिन** के सूखे जलाशयों में मोड़ना है।

3. कर्नाटक का विरोध:

- कर्नाटक ने आशंका जताई है कि इस परियोजना से उसकी कावेरी जल पर अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
- यह विवाद विशेष रूप से **बिलिगुंडलु सीमा** से अंतर्राज्यीय जल हस्तांतरण को लेकर है।

4. लागत और दायरा:

- परियोजना की अनुमानित लागत **₹565 करोड़** है।
- कुल **483 टीएमसी फीट पानी** स्थानांतरित करने की योजना है।

5. कानूनी पहलू:

- कर्नाटक ने इस परियोजना के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप के लिए याचिका दायर की है।
- इसमें **संविधान और संघीय व्यवस्था** का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से मंजूरी न देने की मांग की गई है।

अंतर्राज्यीय नदी विवादों के लिए संवैधानिक प्रावधान

1. राज्य सूची (Entry 17):

- इसमें जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी और जलविद्युत उत्पादन शामिल हैं।
- राज्य अपनी सीमाओं के भीतर जल संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं।

2. संघ सूची (Entry 56):

- केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित करने और उनके विकास का अधिकार देती है।
- यदि जल विवाद अंतर्राज्यीय प्रकृति का हो, तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

अनुच्छेद 262:

- अंतर्राज्यीय नदियों के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करता है।
- संसद को ऐसे विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने का अधिकार है।

अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956:

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को राज्यों के बीच जल विवाद उत्पन्न होने पर न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) गठित करने की अनुमति देता है।

2002 का संशोधन:

- विवाद उत्पन्न होने पर **एक वर्ष के भीतर ट्रिब्यूनल** की स्थापना अनिवार्य की गई।
- ट्रिब्यूनल को **तीन वर्षों** में निर्णय देना होगा।
- आवश्यकता पड़ने पर निर्णय देने की अवधि को **दो वर्षों** तक बढ़ाया जा सकता है।

न्यायिक निगरानी:

- सर्वोच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय या फॉर्मूले पर सवाल नहीं उठा सकता।
- हालांकि, वह ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सकता है।

कावेरी नदी के बारे में जानकारी:

- महत्व:** कावेरी नदी को **तमिल** में '**पोनी**' कहा जाता है और इसे दक्षिण भारत की '**दक्षिण गंगा**' के रूप में पूजा जाता है।
 - कृषि, पेयजल आपूर्ति और पनबिजली उत्पादन के लिए यह एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है।
- उत्पत्ति:** कावेरी नदी की उत्पत्ति **कर्नाटक** राज्य में स्थित **ब्रह्मगिरि पहाड़ियों** (पश्चिमी घाट) के **तलाकावेरी** से होती है।
- प्रवाह:** यह नदी दक्षिण-पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई **कर्नाटक** और **तमिलनाडु** राज्यों से होकर गुजरती है।
 - पूर्वी घाटों से उतरकर नदी **बंगाल की खाड़ी** में मिलती है।
- उप-नदियाँ:**
 - **बाएँ तट की सहायक नदियाँ:** अर्कावती, हेमावती, शिमसा, हरंगी।
 - **दाएँ तट की सहायक नदियाँ:** लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, नाँयल, भवानी, अमरावती।
- संरक्षित क्षेत्र (वाइल्डलाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज):**
 - **नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक)।**
 - **वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल)।**
 - **सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व (तमिलनाडु)।**

एनिमल डिप्लोमेसी / Animal Diplomacy

संदर्भ:

नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा अतिरिक्त बाघों को कूटनीतिक उपहार के रूप में देने के प्रस्ताव ने वैश्विक बहस छेड़ दी है। नेपाल में बाघों की संख्या 2009 में 120 से बढ़कर 2022 में 355 हो गई, जो 296% की वृद्धि को दर्शाती है।

एनिमल डिप्लोमेसी:

- **परिभाषा:** देशों के बीच मित्रता और सद्भावना के रूप में जानवरों का उपहार देना या उधार देना।
- **उद्देश्य:** दोस्ती और अच्छे संबंधों का प्रतीक।
- **सांस्कृतिक महत्व:** उपहार देने वाले देश के लिए जानवरों का सांस्कृतिक महत्व होता है।
- **विशिष्टता:** आमतौर पर ऐसे जानवर दिए जाते हैं जो उस देश के लिए खास होते हैं।
- **कूटनीतिक उपकरण:** अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है।

एनिमल डिप्लोमेसी की विशेषताएँ:

- **सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व:** जानवर अपने देश की प्राकृतिक विरासत और संस्कृति का प्रतीक होते हैं।
 - उदाहरण: चीन के पांडा उसके संरक्षण प्रयासों और संस्कृति को दर्शाते हैं।
- **द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना:** जानवरों का उपहार सद्भावना बढ़ाता है और राजनयिक संबंधों को मजबूत करता है।
 - उदाहरण: नेपाल ने 2015 में जर्मनी को एक सींग वाले गैंडे उपहार में दिए।
- **आर्थिक लाभ:** जानवर व्यापार समझौतों और भागीदारी में सहायता कर सकते हैं।
 - उदाहरण: चीन द्वारा पांडा उधार देना अक्सर व्यापार समझौतों से जुड़ा होता है।
- **संरक्षण प्रतीक:** जानवर दानदाता देश की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
 - उदाहरण: भूटान में काले गर्दन वाले सारस के संरक्षण अभियान।
- **पर्यटन में वृद्धि:** विदेशी जानवर चिड़ियाघरों में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और राजस्व बढ़ाते हैं।
 - उदाहरण: पांडा रखने वाले चिड़ियाघर रिकॉर्ड संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करते हैं।

एनिमल डिप्लोमेसी का महत्व:

- **अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना:** एनिमल डिप्लोमेसी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और नई साझेदारियों को बढ़ावा देने में मदद करती है।
- **सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना:** यह एक देश की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है और राष्ट्रों के बीच सद्भावना बढ़ाती है।

सॉफ्ट पावर रणनीति: जानवरों का उपयोग करके किसी देश के मूल्यों और वैश्विक आकर्षण को बढ़ाया जाता है।
उदाहरण: ऑस्ट्रेलिया की "कोआला डिप्लोमेसी" जो ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को दर्शाती है।

संयुक्त संरक्षण प्रयास: संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए संयुक्त पहल देशों के बीच विश्वास और साझेदारी को बढ़ावा देती है।
उदाहरण: रूस और चीन के बीच साइबेरियन टाइगर को बचाने के लिए समझौता पर्यावरणीय सहयोग को मजबूत करता है।

एनिमल डिप्लोमेसी के नकारात्मक प्रभाव:

- **पशु कल्याण पर प्रभाव:** परिवहन और कैद के कारण जानवरों को तनाव होता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
उदाहरण: विदेशी जलवायु में पांडा स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं।
- **राजनीतिक फायदे के लिए शोषण:** जानवरों को कूटनीतिक प्रतीकों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी वास्तविक महत्वता नजरअंदाज होती है।
उदाहरण: संरक्षण के बजाय जानवरों को राजनयिक उपहार के रूप में दिया जाता है।
- **प्राकृतिक आवास से विस्थापन:** जानवरों को प्राकृतिक पर्यावरण से निकालने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है।
उदाहरण: संकटग्रस्त प्रजातियों को उपहार के रूप में लेने से जैव विविधता प्रभावित होती है।

डिफरेंशियल प्राइसिंग / Differential Pricing

संदर्भ:

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला और उबर को उन पर लगाए गए आरोपों को लेकर नोटिस जारी किया है। आरोप है कि वे उपभोक्ताओं के स्मार्टफोन के प्रकार के आधार पर भिन्न मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।

डिफरेंशियल प्राइसिंग के बारे में:



डिफरेंशियल प्राइसिंग:

डिफरेंशियल प्राइसिंग एक रणनीति है, जिसमें व्यवसाय एक ही उत्पाद या सेवा के लिए अलग-अलग कीमतें तय करते हैं। यह कीमतें विभिन्न कारणों पर आधारित होती हैं, जैसे:

- स्थान
- मांग
- ग्राहक की जनसांख्यिकी
- खरीदारी का व्यवहार

इस रणनीति का उद्देश्य राजस्व को अनुकूलित करना और विभिन्न बाजार वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

डिफरेंशियल प्राइसिंग के प्रकार:

- प्राइस लोकलाइजेशन (Price Localization):** स्थानीय खरीद क्षमता या प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए कीमतें तय करना।
- रियल-टाइम प्राइसिंग (Real-Time Pricing):**
 - मांग, प्रतिस्पर्धा और उपलब्धता के आधार पर कीमतों में बदलाव।
- सब्सक्रिप्शन आधारित प्राइसिंग (Subscription-Based Pricing):**
 - लंबी अवधि की प्रतिबद्धताओं पर छूट प्रदान करना।
- सीजनल डिस्काउंट्स (Seasonal Discounts):**
 - छुट्टियों या विशेष समय में कीमतों को कम करना।
- वॉल्यूम डिस्काउंट्स (Volume Discounts):**
 - बड़ी मात्रा में खरीदारी पर प्रति यूनिट कीमत कम करना।

डिफरेंशियल प्राइसिंग के कारण बनने वाले प्रमुख कारक

- प्रौद्योगिकी का उपयोग:** AI-आधारित डायनेमिक प्राइसिंग व्यक्तिगत ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार कीमत तय करती है।
- आर्थिक परिस्थितियाँ:** मुद्रास्फूर्ति, मुद्रा विनिमय दर और टैरिफ कीमत निर्धारण को प्रभावित करते हैं।
- उपभोक्ता जनसांख्यिकी:** आयु, आय स्तर और खरीदारी व्यवहार के आधार पर कीमतों की रणनीति तैयार की जाती है।
- बाजार मांग:** अधिक मांग के दौरान, जैसे त्योहारी सीजन में, व्यवसाय कीमतें बढ़ा सकते हैं।
- भौगोलिक स्थान:** स्थानीय प्रतिस्पर्धा और लागत संरचना क्षेत्रीय मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है।

भारत में डिफरेंशियल प्राइसिंग को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019:** डिफरेंशियल प्राइसिंग उपभोक्ता भेदभाव या शोषण करती है तो इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है।
 - **धारा 2(47):** उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुँचाने वाली प्रथाओं पर रोक।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002**
 - **धारा 4:** प्रमुख कंपनियों द्वारा भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण पर रोक।
 - CCI ने विमानन और राइड-हेलिंग में मूल्य निर्धारण की समीक्षा की है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** भोजन, ईंधन, और दवाओं पर भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण आपात स्थितियों में प्रतिबंधित।
- सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण:** (Pallavi Refractories v. Singareni Collieries, 2005): तर्कसंगत मानदंडों पर आधारित मूल्य निर्धारण वैध।
- बोटलबंद पानी का MRP नियम:**
 - 2017: मल्टीप्लेक्स, हवाई अड्डों और रिटेल स्टोर्स में बेचे गए समान पानी के लिए एक MRP लागू।

राष्ट्रीय बालिका दिवस / National Girl Child Day

संदर्भ:

हर साल 24 जनवरी को **राष्ट्रीय बालिका दिवस** मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय बालिका दिवस (National Girl Child Day):



उद्देश्य:

- यह दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए समर्पित है, जिसमें लड़कियां लिंग आधारित भेदभाव के बिना फल-फूल सकें।
- यह दिवस लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को उजागर करने, उनके लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में लड़कियों को समान रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

मुख्य फोकस:

- समाज के दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें लिंग चयन, **बालिका भ्रूण हत्या**, गिरते लिंग अनुपात, 'पुत्र वरीयता' जैसी समस्याओं पर जागरूकता फैलाना और एक समान और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना शामिल है।

इतिहास और महत्व:

- राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल **24 जनवरी** को मनाया जाता है।
- इसे **महिला और बाल विकास मंत्रालय** द्वारा 2008 में शुरू किया गया था।
- यह दिन लड़कियों के लिए एक सम्मानजनक और समान अवसर सुनिश्चित करने का आह्वान करता है।

बालिका विकास के लिए पहल:



1. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):** बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2015 में शुरू की गई।
2. **उड़ान:** 2014 में सीबीएसई द्वारा इंजीनियरिंग में बालिकाओं के कम नामांकन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई।
3. **किशोरियों के लिए योजना (SAG):** 2010 में 11-14 वर्ष की किशोरियों के पोषण और स्व-विकास के लिए विशेष हस्तक्षेप।
4. **माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजना:** 2008 में अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं के लिए शिक्षा अवसर बढ़ाने हेतु शुरू की गई।
5. **सुकन्या समृद्धि योजना:** 2015 में बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से।
6. **पोषण अभियान:** 2018 में कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के सशक्तिकरण और समानता के महत्व को रेखांकित करता है। सरकार विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। यह पहल समाज में समावेशिता और समानता को सुनिश्चित करने में सहायक है, जो एक प्रगतिशील और समान भविष्य की दिशा में अहम कदम है।

भारत में समुद्री क्षेत्र / Maritime Sector in India

संदर्भ:

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव के अनुसार, भारतीय समुद्री क्षेत्र को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए 2047 तक \$1 ट्रिलियन और 2030 तक ₹5 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता है।

भारत का समुद्री क्षेत्र:

1. भारत का व्यापार और वाणिज्य का आधार:

- भारत का समुद्री क्षेत्र लगभग 95% व्यापार की मात्रा और 70% व्यापार की कीमत को संभालता है।

2. भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा:

- भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं।
- यह भारत को दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाता है।

3. भारत दुनिया का 16वां सबसे बड़ा समुद्री देश है:

- भारत समुद्र के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थिति रखता है।

4. भारत का वैश्विक शिपिंग मार्गों पर महत्वपूर्ण स्थान:

- अधिकांश कार्गो जहाज जो पूर्वी एशिया से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच यात्रा करते हैं, भारत के जलक्षेत्र से गुजरते हैं।
- इससे भारत की सामरिक महत्त्वता और बढ़ जाती है।

भारत के समुद्री क्षेत्र की ताकत:

1. बंदरगाह क्षमता:

- भारत के प्रमुख बंदरगाह 820 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्गो का वार्षिक संचालन करते हैं, जो 2014 से 47% अधिक है।
- कुल बंदरगाह क्षमता 2014 से दोगुनी होकर 1,630 MMT हो गई है।
- भारत की बंदरगाह क्षमता 2047 तक छह गुना बढ़कर 10,000 MMT प्रति वर्ष होने की उम्मीद है। इससे भारत दुनिया के शीर्ष 10 समुद्री देशों में शामिल हो जाएगा।

2. मेगा बंदरगाह:

- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, भारत की सबसे बड़ी शिपिंग सुविधा, ने 10 मिलियन TEUs (ट्वेंटी-फुट समकक्ष इकाइयाँ) कंटेनर क्षमता को पार कर लिया है।
- महाराष्ट्र में वाघवन पोर्ट भारत की सबसे बड़ी कंटेनर सुविधा बनने के लिए तैयार है।
- गलाथिया बे, ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, प्रमुख वैश्विक मार्गों पर ट्रांसशिपमेंट व्यापार को आकर्षित करेगा।

3. आधुनिककरण से दक्षता में वृद्धि:

- विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारत "इंटरनेशनल शिपमेंट्स" श्रेणी में 22वें स्थान पर है, जो 2018 में 44वें स्थान पर था।

4. संचालनात्मक दक्षता:

- कंटेनर के ठहरने का समय अब तीन दिन तक सीमित हो गया है।
- जहाजों की पलटने का समय अब 0.9 दिन हो गया है।
- विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में नौ भारतीय बंदरगाह शामिल हैं। विशाखापत्तनम दुनिया के शीर्ष 20 बंदरगाहों में शामिल है।

समुद्री क्षेत्र में विकास:

1. **नवीन पोर्ट परियोजनाएँ:** वाघवन पोर्ट ₹76,220 करोड़ में मंजूर किया गया, जिससे EXIM व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
2. **बड़ा विस्तार की योजना:** 2047 तक 1,000 नए जहाजों को जोड़ने के लिए एक नई शिपिंग कंपनी की योजना बनाई जा रही है।
3. **निवेशों में वृद्धि:** 2035 तक बंदरगाहों की अवसंरचना के लिए 82 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा।
4. **समुद्री जहाज निर्माण में सहायता:** SBFAP के तहत वित्तीय सहायता से ₹10,500 करोड़ मूल्य के 313 जहाजों के आदेश प्राप्त हुए हैं।

चुनौतियाँ:

1. **बुनियादी ढांचे की कमी:** बंदरगाहों में भीड़, खराब संचालन, और परिवहन मोड का अभाव।
2. **सतत ईंधन का उपयोग:** शून्य उत्सर्जन के लिए सतत ईंधन की आवश्यकता।
3. **पर्यावरणीय समस्याएँ:** माल लोडिंग/अनलोडिंग और तेल रिसाव से प्रदूषण।
4. **कुशल श्रमिकों की कमी:** जहाज निर्माण और मरम्मत के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी।
5. **विस्थापन:** बंदरगाह विकास से स्थानीय लोगों का विस्थापन (जैसे मुंद्रा, गंगवरम)।

अनुबंध खेती / contract farming

संदर्भ:

भारत ने आयातक से जमे हुए फ्रेंच फ्राइज (FF) का प्रमुख निर्यातक बनने की यात्रा पूरी कर ली है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से निर्यात घरेलू खपत को पार कर गया है।

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग:

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक समझौता है जिसमें किसान (उत्पादक) और खरीदार पहले से कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए शर्तों पर सहमत होते हैं। इसमें आमतौर पर किसान को भुगतान की जाने वाली कीमत, उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता, और डिलीवरी की तारीख शामिल होती है।

- कुछ मामलों में उत्पादन की प्रक्रिया और आवश्यक इनपुट (बीज, खाद, तकनीकी सलाह) भी खरीदार द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।

किसानों के फायदे:

- वित्तीय समर्थन:** इनपुट, सेवाएं और क्रेडिट की आसान उपलब्धता।
- उत्पादन और प्रबंधन कौशल में सुधार।**
- सुरक्षित बाजार और नए बाजारों तक पहुंच।**
- मूल्य से संबंधित जोखिमों में कमी।**
- स्थिर आय और बेहतर योजना बनाने में मदद।**
- नई तकनीकों का परिचय।**

किसानों की चिंताएँ:

- लचीलापन की कमी:** जब कीमतें बढ़ती हैं तो वैकल्पिक खरीदारों को बेचने की स्वतंत्रता का नुकसान।
- भुगतान में देरी और इनपुट की देर से डिलीवरी।**
- उधारी से ऋण का जोखिम।**
- पर्यावरण पर प्रभाव:** केवल एक प्रकार की फसल उगाने से पर्यावरणीय जोखिम बढ़ते हैं।
- खरीदार और किसानों के बीच असमान सौदेबाजी शक्ति।**

फ्रेंच फ्राइज सफलता:

परिचय: भारत ने फ्रेंच फ्राइज के मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहले भारत इसका आयात करता था, लेकिन अब निर्यात कर रहा है। यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कृषि उद्योग के बेहतरीन सहयोग का उदाहरण है।

सफलता के प्रमुख कारण:

- विशेष प्रकार के आलू:** *इमोवेटर, अटलांटिक, और मार्कीज* जैसी आलू की खास किस्में उगाई जाती हैं, जो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए उपयुक्त हैं।
- कंपनियों और किसानों का सहयोग:** *मैककेन फूड्स, हाईफन फूड्स, और इस्कॉन बालाजी फूड्स* जैसी कंपनियाँ किसानों के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले आलू की निरंतर आपूर्ति बनी रहती है।
- किसानों और कंपनियों को लाभ:**
 - किसानों के लिए:**
 - निश्चित बाजार और स्थिर आय।
 - आधुनिक खेती की तकनीकों का मार्गदर्शन।
 - कंपनियों के लिए:** लगातार अच्छी गुणवत्ता वाले आलू की उपलब्धता।
- आर्थिक प्रभाव:** भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
 - गुजरात फ्रेंच फ्राइज उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया है।

भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नियामक ढांचा:

1. प्रारंभिक नियम: शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को **भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872** के तहत नियंत्रित किया गया था।

2. एपीएमसी अधिनियम, 2003:

- मॉडल एपीएमसी अधिनियम, 2003** में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अनिवार्य पंजीकरण और विवाद निपटारे की व्यवस्था की गई।
- हालांकि, कमीशन एजेंटों के विरोध के कारण राज्यों ने इसे बढ़ावा देने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई।

3. राष्ट्रीय किसान आयोग (2004): एम.एस. स्वामीनाथन आयोग ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक आचार संहिता तैयार करने की सिफारिश की।

4. राष्ट्रीय किसान नीति, 2007: इस नीति ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित किया और एक आचार संहिता बनाने का वादा किया।

5. मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम, 2018: कृषि मंत्रालय ने फरवरी 2018 में एक **ड्राफ्ट मॉडल अधिनियम** जारी किया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक नियामक ढांचा बनाने की बात की गई।

- राज्यों को इस आधार पर अपने कानून बनाने की अनुमति दी गई।

6. मौजूदा स्थिति: वर्तमान में कुछ राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए **कृषि उपज विपणन समिति (APMC)** में पंजीकरण जरूरी है, जो अनुबंधों को दर्ज करने और विवाद सुलझाने का कार्य करती है।

"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !



ANKIT AVASTHI




RRB NTPC

TEST SERIES

- ✓ 100+ Mock Test
- ✓ 78 Sectional Test
- ✓ 40+ years PYPs
- ✓ 60+ Current affairs

TEST



Only

99 *Per Year*

Buy Now



GA FOUNDATION







Hand Written
Notes


Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ **Only**
1999

**4 पुस्तकों का
सम्पूर्ण सेट**



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**



APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

▶ POLITY ▶ ECONOMICS
▶ HISTORY ▶ GEOGRAPHY

FOR ALL

 DAILY LIVE CLASSES

 WEEKLY TEST

 CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)

 LIVE DOUBT SESSIONS

 DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs

4999/-



Apni Pathshala  7878158882

 Apni.Pathshala  kaankit  AnkitAvasthiSir  Avasthiankit

ONLY POLITY



1499
RS

DAILY LIVE CLASSES

-  WEEKLY TEST
-  CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
-  LIVE DOUBT SESSIONS
-  DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala



7878158882



Apni.Pathshala



kaankit



AnkitAvasthiSir



Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!

